

हरियाणा सरकार
खेल एवं युवा कार्यक्रम विभाग
नागरिक अधिकार पत्र 2019–20

क्र. सं.	सेवा का नाम	पात्रता	क्या करें ?	आवेदन पत्र जमा करवाने की तिथि	निपटारे की समय-सीमा
1	खेल ग्रेडेशन प्रमाण पत्र	खेल ग्रेडेशन पालिसी के अनुसार।	प्रार्थी द्वारा निर्धारित प्रोफार्मा में आवेदन पत्र संबंधित जिला खेल एवं युवा कार्यक्रम अधिकारी के कार्यालय में जमा करवाना होता है।	किसी भी कार्यालय दिवस को।	30 दिन।
2	खिलाडियों को नकद ईनाम (कैश अवार्ड)	सरकार द्वारा जारी की गई अधिसूचना के अनुसार।	प्रार्थी द्वारा निर्धारित प्रोफार्मा में आवेदन पत्र संबंधित जिला खेल एवं युवा कार्यक्रम अधिकारी के कार्यालय में जमा करवाना होता है।	सरकार द्वारा निर्धारित तिथि तक।	प्रत्येक वर्ष बजट की उपलब्धता अनुसार।
3	विद्यार्थियों को स्कॉलरशिप	सरकार द्वारा जारी की गई अधिसूचना के अनुसार।	प्रार्थी द्वारा निर्धारित प्रोफार्मा में आवेदन पत्र संबंधित जिला खेल एवं युवा कार्यक्रम अधिकारी के कार्यालय में जमा करवाना होता है।	सरकार द्वारा निर्धारित तिथि तक।	प्रत्येक वर्ष बजट की उपलब्धता अनुसार।
4	भीम अवार्ड	सरकार द्वारा जारी की गई अधिसूचना के अनुसार।	प्रार्थी द्वारा निर्धारित प्रोफार्मा में आवेदन पत्र संबंधित जिला खेल एवं युवा कार्यक्रम अधिकारी के कार्यालय में जमा करवाना होता है।	सरकार द्वारा निर्धारित तिथि तक।	प्रत्येक वर्ष बजट की उपलब्धता अनुसार।

5	एडवैंचर स्पोर्ट्स	15 से 29 आयु वर्ग में कोई भी स्वस्थ इच्छुक युवक/युवती।	प्रार्थी द्वारा निर्धारित प्रोफार्मा में आवेदन पत्र संबंधित जिला खेल एवं युवा कार्यक्रम अधिकारी के कार्यालय में जमा करवाना होता है। (विभागीय शर्तें)	सरकार द्वारा निर्धारित तिथि तक।	30 दिन।
6	यूथ क्लब को दिए जाने वाले ईनाम	युवा क्लब रजिस्ट्रेशन एक्ट 2012 के अन्तर्गत पंजीकृत हो तथा उसका अपना संविधान हो।	प्रार्थी द्वारा निर्धारित प्रोफार्मा में आवेदन पत्र संबंधित जिला खेल एवं युवा कार्यक्रम अधिकारी के कार्यालय में जमा करवाना होता है।	सरकार द्वारा निर्धारित तिथि तक।	31 मार्च।
7	डांस, नाटक एवं संगीत ट्रेनिंग	15 से 29 वर्ष आयु वर्ग के युवक/युवती।	जिला खेल एवं युवा कार्यक्रम अधिकारी/ वार्ड.सी.ओ. से सम्पर्क कर नाम पंजीकृत करवाना होता है।	सरकार द्वारा निर्धारित तिथि तक।	30 दिन।
8	जिला/राज्य/राष्ट्रीय युवा उत्सव	15 से 29 वर्ष आयु वर्ग के युवक/युवती।	जिला खेल एवं युवा कार्यक्रम अधिकारी/ वार्ड.सी.ओ. से सम्पर्क कर नाम पंजीकृत करवाना होता है।	राष्ट्रीय युवा उत्सव प्रत्येक वर्ष 12 से 16 जनवरी के मध्य आयोजित किया जाता है।	30 दिन।
9	खेल नर्सरी योजना	8 से 14 वर्ष 15 से 19 वर्ष आयु वर्ग के लडके/लडकियां।	स्कूल/संस्था द्वारा निर्धारित प्रपत्र में आवेदन पत्र संबंधित जिला खेल एवं युवा कार्यक्रम अधिकारी के कार्यालय में जमा करवाना होता है।	विभाग द्वारा समाचार पत्रों में आवेदन प्राप्ति की तिथि निर्धारित की जाती है।	प्रत्येक वर्ष बजट की उपलब्धता अनुसार।